उ0प्र0 विधान परिषद के तृतीय सत्र–2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री अशोक अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूंछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–12 का उत्तर।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि श्याम प्रकाश व रामपाल वर्मा, विधायक का पत्र दिनांक 06.10.2024 व प्रभास कुमार, विधायक का पत्र दिनांक 30.08.2024 एवं अलका सिंह अर्कवंशी का पत्र दिनांक 30.08.2024 व अशोक कुमार रावत, सांसद मिश्रिख का पत्र दिनांक 29.08.2024 एवं जय प्रकाश, सांसद का पत्र दिनांक 21.09.2024 जो मुख्यमंत्री को सम्बोधित जनपद–हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध अनियमितता के सम्बन्ध में थे, प्राप्त हुए हैं?	जी हॉ। श्री श्याम प्रकाश, मा0 विधायक, जनपद–हरदोई का पत्र दिनांक 06.10.2024, श्री रामपाल वर्मा, मा0 विधायक, जनपद–हरदोई का पत्र दिनांक 06.10.2024, श्री जय प्रकाश, मा0 सदस्य, लोक सभा, हरदोई का पत्र दिनांक 21.09.2024, श्री अशोक कुमार रावत, मा0 सदस्य, लोक सभा, हरदोई का पत्र दिनांक 29.08.2024 एवं श्रीमती अलका सिंह 'अर्कवंशी' मा0 विधायक, जनपद–हरदोई का पत्र दिनांक 30.08.2024 के स्थान पर दिनांक 30.09.2024 का पत्र प्राप्त हुआ है। किन्तु श्री प्रभास कुमार, मा0 विधायक का पत्र दिनांक 30.08.2024 कार्यालय अभिलेखों के अनुसार प्राप्त नहीं है।
(ख)	यदि हां, तो पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे?	पत्र के मुख्य बिन्दु श्री विजय प्रताप सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई द्वारा शिक्षकों तथा जनप्रतिनिधियों से दुव्यवहार किये जाने की तथा स्थानान्तरण के बावजूद नये आगन्तुक अधिकारी को कार्यभार हस्तगत न कराने, सरकारी गाड़ी तथा सरकारी सी0यू0जी0 नम्बर उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में है।
(ग)	पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गयी?	शासन के पत्र संख्या–I/779091/2024, दिनांक 24.10.2024 द्वारा जनप्रतिनिधियों से प्राप्त उपर्युक्त पत्रों को महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित करते हुए शिकायती पत्रों में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में श्री विजय प्रताप सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई के विरूद्ध प्राप्त शिकायती बिन्दुओं की जांच कर सुस्पष्ट आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तत्क्रम में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपने पत्र दिनांक 08.11.2024 एवं 06.12.2024 के माध्यम से मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, षष्ठ, मण्डल, लखनऊ को जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
(घ)	क्या कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे?	महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ से जांच आख्या प्राप्त करके अवगत कराया जायेगा।
(ङ)	यदि नहीं, तो क्यों?	उक्तवत्।

संदीप सिंह
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)